उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, सन् 2013)

THE UTTAR PRADESH MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACT, 2013

[U.P. Act No. 22 of 2013]

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2013]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने 27 सितम्बर, 2013 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुआ।]

विज्ञान, प्रोद्योगिकी और प्रबन्ध शिक्षा में अध्ययन, अनुसंधान, प्रोद्योगिकी उद्भवन, उत्पादन सम्बन्धी नवाचार एवं विस्तार कार्य को सुकर बनाने एवं प्रोन्नत करने के लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गणित करने और गोरखपुर में उसे एक गैर–सम्बद्धक अध्यापन और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की वयवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है जो गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध है ;

और, चूँकि, उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्ध के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिए बेहतर कार्य क्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएँ

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :––

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" का तात्पर्य कर्मचारी की ऐसी श्रेणीयों से है जिसे परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हों ;

1. उद्देश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखे ।

(ग) "प्रबंध बोर्ड" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड से है ;

(घ) "कैम्पस" का तात्पर्य शिक्षण या शोध या दोनों के लिए व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है ;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति–कुलपति" का तात्पर्य विश्विद्यालय के क्रमशः "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति–कुलपति" से है ;

(च) "सभा" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सभा से है ;

(छ) "विभाग" का तात्पर्य धारा 27 के उपबंध के अधीन गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन विभाग से है ;

(ज) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है ;

(झ) "विद्यमान कर्मचारी" का तात्पर्य पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के किसी कर्मचारी से है, जो धारा 5 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो जाता है ;

(ञ) "वित्त समिति" का तात्पर्य धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

(ट) "छात्र निवास" या "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या संगठित जीवन कि किसी इकाई से है ;

(ठ) "अवचार" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित किसी अवचार से है ;

(ड) "विहित" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ढ) "कुल–सचिव" का तात्पर्य धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल–सचिव से है ;

(ण) "परिनियम", "अध्यादेश" या "विनियम" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश या विनियम से है ;

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है ;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाए और परिनियम द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया हो ।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3–(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, सभा के प्रथम सदस्य, प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय की वित्त समिति और विद्या परिषद् और ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें आगे ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय या सदस्य के रूप में जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, सम्मिलित होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रोद्योगिकी और प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा के विकासशील क्षेत्रों मे अध्यापन और अनुसंधान कार्य में रत रहेगा एवं इन क्षेत्रों और सम्बद्ध सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्तर–शाखीय शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4–इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही :––

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को किया गया कोई सन्दर्भ विश्वविद्यालय को किया गया सन्दर्भ समझा जायेगा ;

(ख) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की या उससे सम्बन्धित समस्त चल और अचल सम्पत्ति विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी ;

(ग) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिये जायेंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व हो जायेंगे ।

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति पेंशन, छुट्टी, आनुतोषिक, भविष्य निधि और अन्य मामलों के सम्बन्ध में उसी कार्यकाल तक उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर और उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ विश्वविद्यालय में अपना पद और सेवा धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय या उसने विश्वविद्यालय के नियोजन सम्बन्धी निबन्धन एवं शर्तों के लिये विकल्प न दे दिया हो ।

(ङ) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के ऐसे वर्तमान छात्र जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व क्लास ज्वाइन किये हो, वे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय के नामांकन और सम्बद्धता के अधीन जारी रखेंगे जो उनके लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके द्वारा वर्तमान में वहाँ अनुसरण किये जा रहे पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों के पूर्ण कर लेने पर उन्हें उपाधियाँ प्रदान करेगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

5–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :––

(1) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंध और सहबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक उच्चतर शिक्षा का विकास करना एवं उसे प्रदान करना ;

(2) अध्ययन को सुकर बनाना और प्रोत्साहन देना जिसमें उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों को प्रदान किया जायेगा ।

(3) आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्च अध्ययन की व्यवस्था करना और अनुसंधान को प्रात्साहन प्रदान करना;

(4) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ;

(5) एक परिवर्तन अभिकरण बनकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के सम्बन्धित क्षत्रों को इस प्रकार समर्थ बनाने में योगदान प्रदान करना कि वे अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट उत्पादों एवं सेवाओं का विकास कर सकें ।

(6) सुसंगत उद्योग बनना और भारत तथा विदेश में शैक्षणिक समुदाय पर प्रभाव बनाना ;

(7) एक खुली संस्था बनकर विश्व के उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना और वैश्विक रूप से पूर्णतः समेकित होना ;

(8) प्रौद्योगिकी उद्यमिता, नवाचार एवं नव उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, ज्ञान पार्कों और प्रौद्योगिकी ऊष्मायिलों (इन्क्यूवेटर्स) की स्थापना करना ;

(9) अभिभाषणों, संगोष्टियों, परिसंवादों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके राष्ट्रीय विकास में ज्ञान एवं प्रक्रिया एवं उनकी भूमिका का प्रसार करना ;

(10) व्यावसायिक नैतिकता, अनुसंधान सत्यनिष्ठा, वैश्विक रूप से ग्राह्य व्यापार नीतिशास्त्र को प्रोन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने के उद्‌देश्य से सांस्कृतिक एवं नीतिपरदा मूल्यों को प्रोन्नत करना एवं प्रोत्साहन देना ;

(11) भारत एवं विदेश में उच्चतर ज्ञान और अनुंसधान की संस्थाओं से सम्पर्क करना ;

(12) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों पर आवधिक पत्रिका, शोध प्रबन्ध, अध्ययन–लेख, पुस्तकें, रिपोर्ट, दैनिकी एवं अन्य साहित्य प्रकाशित करना ;

(13) परीक्षाओं का आयोजन करना और उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(14) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित अध्ययन एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं के कार्य का दायित्व लेना ;

(15) अध्ययन केन्द्रों और विभागों की स्थापना करना ;

(16) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो वश्विविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्‌देश्यों के प्राप्त करने के लिए आनुषांगिक, आवश्यक या सहायक हों ।

6–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :––

(एक) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान कार्यों तथा ज्ञान एवं कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(दो) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र देना और परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की अन्य विधि के आधार पर उपाधियॉ एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(तीन) मानद् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(चार) विस्तार सेवाएं आयोजित करना और उसका उत्तरदायित्व लेना ;

(पांच) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन एवं शैक्षिक पद सृजित एवं संस्थित करना और ऐसे तथा अन्य शैक्षिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(छः) व्यक्तियों को आचार्यों, सह–आचार्यों या सहायक आचार्यों के रूप में एवं अन्य लोगो को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान करना ;

(सात) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षिक या प्रशासनिक स्टाफ के अध्यापकों और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों एवं निबन्धनों के लिए प्रावधान करना ;

(आठ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना ;

(नौ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना ;

(दस) किसी अन्य विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षा के प्राधिकरण या संस्था से और किसी विदेशी विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार या सहयोग करना अथवा सहयुक्त होना जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे ।

(ग्यारह) शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों कार्य करने के लिए किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के सहकार, सहयोग या सहयोजन को विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध करना ;

(बारह) शैक्षिक कृत्यों के निष्पादन के लिए शैक्षिक नियामक का गठन करना और उन्हें विहित रीति से पारिश्रमिक प्रदान करना ;

(तेरह) केन्द्रीय सुविधाए यथा कम्प्यूटर केन्द्र साधान विनियोग केन्द्र, केन्द्रीय कार्यशाला, केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रेक्षागृह आदि स्थापित करना ;

(चौदह) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ स्थापित करना ;

(पन्द्रह) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों को अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या चयन की कोई अन्य पद्धति भी हो सकती है ;

(सत्रह) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(अठारह) फीस और अन्य प्रभार विहित करना, मांगना और उनके भुगतान को प्राप्त करना ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(बीस) छात्राओं के सम्बन्ध में एसी विशेष व्यवस्था करना जैसी विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण को विनियमित करना ;

(बाईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध मे ऐसे आनुशासनिक उपाय करना जैसा आवश्यक समझा जाय ;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के सम्वर्धन के लिए व्यवस्था करना ;

(पच्चीस) व्यक्तियों से धर्मदान, दान और उपहार प्राप्त करना और पीठों, संस्थाओं, भवनों एवं तत्सदृश को ऐसे नाम प्रदान करना जैसा विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों के नाम से अवधारित करे जिनके द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये उपहार या दान विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित की गयी धनराशि के तत्समय हो ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय के लिए संग्रह निधि का सृजन करना और उसे भूतपूर्व छात्रों, उद्योगों और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाय, से प्राप्त दोनो को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित करना और ऐसे संग्रह निधि के प्रयोग के ढंग का विनिश्चय करना ;

(सत्ताईस) सरकार की सहायता से अर्जित भूमि या निर्मित भवन को छोड़ कर, जिसके मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, किसी सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यास सम्पत्तियाँ भी हैं, का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना ;

(अट्ठाईस) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर प्रतिभूति पर उधार लेना ;

(उन्तीस) विषयों, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों और प्राविधिक जनशक्ति के प्रशिक्षण, जो लघुकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधार का होगा, के अनुसार आवश्यकता का निर्धारण करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना ;

(तीस) पूरक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उद्योग और अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के उपाय करना ;

(इकतीस) अपने कर्मचारियों के लिए नीति संहिता, आचार संहिता और आनुशासनिक नियम और छात्रों के लिए आनुशासनिक संहिता निर्धारित करना ; और

(बत्तीस) ऐसे अन्य सभी कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो या विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या सहायक हों ।

विश्वविद्यालय सभी वर्ग जातियों और मतावलम्बियों के लिए होगा

7–(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने

के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे ;

(2) इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी ।

विश्वविद्यालय में अध्यासन

8–(1) विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में अध्यापन का संचालन नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार किया जायेगा ;

(2) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या और ऐसे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाय ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :––

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति–कुलपति ;

(घ) संकायाध्यक्ष ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) वित्त नियंत्रक ;

(छ) परीक्षा नियंत्रक और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये ।

विश्वविद्यालय का कुलाधिपति

10–(1) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और यदि वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(3) मानद उपाधि प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख जिनकी कुलाधिपति द्वारा माँग की जाय, प्रस्तुत करे ।

(5) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जैसी विहित की जाय ।

विश्वविद्यालय का कुलपति

11–(1) कुलपति अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंध के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा, जिसके पास उच्चतर शिक्षा के परास्नातक उपाधि स्तरीय संस्थान में प्रशासनिक अनुभव हो ।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन नामों वाले एक पैनल से की जाएगी जिसकी संस्तुति एक अन्वेषण–सह–चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कुलाधिपति का एक नाम निर्देशिती, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नामनिर्देशिती जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो और प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, जो समिति का संयोजक भी होगा, सम्मिलित होंगे । अन्वेषण और चयन की प्रक्रिया समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(3) कुलपति के रूप में चयन के लिए केवल ऐसें व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो । कुलपति अपना पद तीन वर्ष की अवधि के लिये या 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण करेगा ।

(4) पूर्ववर्ती, उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(5) कुलपति की नियुक्ति की निबन्धन, शर्तें, उपलब्ध्यिाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी विनिर्दिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा अवधारित की जाय ।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नही करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच के अनुध्यात रहने पर कुलाधिपति अग्रतर आदेश दिये जाने तक यह आदेश दे सकते है कि, ––

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निष्पादन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह उपधारा (5) के अधीन अन्यथा हकदार था ।

(ख) कुलपति पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,––

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किये जाय और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो ।

(2) वह प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(3) उसको विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने ओर अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे ।

(5) कुलपति को सभा, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी, परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(6) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति से भिन्न नहीं कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों, उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नही करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नही की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नही होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकता है या उसे उलट सकता है ।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नही समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाय ।

विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति

13–(1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के आचार्यो में से प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय–समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाय ।

(5) प्रतिकुलपति को यथाविहित मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

संकायाध्यक्ष

14–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय ।

कुलसचिव

15–(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित की जाय ।

(3) कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह प्रबंध बोर्ड का पदेन सचिव होगा । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या प्रबंध बोर्ड या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार नही होगा ।

(5) कुलसचिव को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, सिवाय उसके जो विहित किया जाय, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा ।

वित्त नियंत्रक

16–(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(2) वित्त नियंत्रक, प्रबंध बोर्ड के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) उसे प्रबंध बोर्ड की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे ––

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबंधनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्ही अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य–कलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाये।

परीक्षा नियंत्रक

17–(1) कुलपति, आचार्यो मे से किसी एक को परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो एक आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसको विहित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों।

(4) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशो द्वारा विहित किये जाय या प्रबंध बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(7) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबंध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

अन्य अधिकारी

18–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियाँ, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाये ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :––

(क) सभा ;

(ख) प्रबंध बोर्ड ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाये ।

सभा

20–(1) विश्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :––

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध की शाखा से पाँच विख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे ;

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त) पदेन ;

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) पदेन ;

(च) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा) पदेन ;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि ;

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(2) सभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति अपना पद धारण करने या नियुक्त रहने के कारण सभा का सदस्य बन गया हो वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेंगी ।

(4) सभा का कोई सदस्य, सदस्य नही रह जाएगा, यदि वह त्याग–पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दांडिक अपराध लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है । कोई सदस्य जो कुलपति से भिन्न हो, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक नियुक्ति स्वीकार

कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सभा की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है ।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न, सभा का सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और उसके द्वारा त्याग–पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग–पत्र प्रभावी हो जायेगा ।

(6) सभा में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जाएगा ।

सभा की शक्तियाँ कृत्य और अधिवेशन

21–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा, विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देगा । सभा की अन्य शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् ––

(क) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं तथा ऐसे लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ख) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना ;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा निर्धारित किया जाय ।

(2) सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होगा ।

(3) सभा का वार्षिक अधिवेशन ऐसे दिनांक को होगा जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत किया जाय, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य दिनांक नियत न कर दिया गया हो और सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा, जब वह उपस्थित हो, किया जायेगा ।

(4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं साथ में वार्षिक लेखा यथा संपरीक्षित तुलन पत्र को कुलपति द्वारा सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में रखा जायेगा ।

(5) वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त, सभा का अधिवेशन कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा अपनी ओर से या सभा के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है ।

(6) सभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिए –

(क) सामान्यतः 15 दिनांक की सूचना दी जायेगी ;

(ख) सभा की नामावली पर विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(ग) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि सभा द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर–बराबर मत हो तो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का अतिरिक्त रूप में एक निर्णायक मत होगा ।

(घ) सदस्यों के मध्य राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) यदि सभा द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय, तो कुलपति सभा के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते है । इस प्रकार

की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक सभा के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय । इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सभा के सभी सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

प्रबन्ध बोर्ड

22–(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और इस रूप में उसके पास इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन वे समस्त शक्तियाँ होगी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये आवश्यक है और उक्त प्रयोजन के लिये एवं तद्धीन प्रदत्त विषयों के सम्बन्ध में भी अध्यादेश एवं विनियय बना सकता है ।

(2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् : ––

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध शाखा के तीन विख्यात व्यक्ति जो सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होंगे ;

(ग) विश्वविद्यालय के दो आचार्य, जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होंगे ;

(घ) विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होंगे ;

(ङ) किसी उद्योग संख्या का एक प्रतिनिधि जो सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होगा ;

(च) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त) – पदेन ;

(छ) सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) – पदेन ;

(ज) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा) – पदेन ;

(झ) ऐसे अन्य सदस्य या सदस्यगण जो विहित किये जाये ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य बन जाता है, वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेगी ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड के नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का कोई सदस्य, सदस्य नही रह जाएगा, यदि वह त्याग–पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दीवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहरा दिया जाता है। कोई सदस्य, जो कुलपति, आचार्य या संकायाध्यक्ष से भिन्न हो, सदस्य नही रह जाएगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न

होने पर कुलपति की अनुमति के बिना प्रबन्ध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है ।

(6) पदेन सदस्य से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और कुलपति द्वारा त्याग–पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग–पत्र प्रभावी हो जायेगा ।

(7) प्रबन्ध बोर्ड में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरी जायेगी और शक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।

प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और अधिवेशन

23–(1) प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकारी होगा और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रूप में उसके पास वह समस्त शक्तियाँ होगी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक है और वह उक्त प्रयोजन के लिए अध्यादेश और विनियम बना सकता है ।

(2) प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विभिन्न शैक्षिक विभागों, विद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करना ताकि यह सुनिशिचित किया जा सके कि वे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और आवश्यक समझे जाने पर सुधार के लिए निर्देश देना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अनुदेश और अनुसंधान विहित मानकों को पूरा करते हैं और विश्वविद्यालय के स्नातक उच्चतर शिक्षा के लिए लाभप्रद सेवायोजन या अवसर प्राप्त करने के योग्य है और इस सम्बन्ध में आवधिक रूप से प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) निम्नलिखित को सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करना :–

(एक) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ; और

(दो) वार्षिक लेखा ;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्तियों, कारबार और अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध एवं विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति, जिसमें अप्रयुक्त आय भी है, को भारत में अचल सम्पत्ति में या उसके क्रय में निवेश करना एवं साथ में उसी प्रकार उसमें परिवर्तन करने की शक्ति रखना ;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें परिवर्तन करना, उसे कार्यान्वित और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना जैसा वह उचित समझे ;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर एवं साधित्र और अन्य साधन उपलब्ध कराना ;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, न्याय निर्णयन करना और यदि वह उचित समझे तो उनकों दूर करना ;

(झ) सरकार के अनुमोदन से संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(ञ) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य भत्तों का निर्धारण करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना ;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जायं या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये जाये ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की नोटिस दी जाएगी ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक कुलपति के अनुदेश से या प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा बुलाई जाएगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(6) प्रबन्ध बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(7) बोर्ड के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे । प्रबन्ध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर–बराबर हो तो, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा ।

(8) यदि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय तो कुलपति प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय । इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा । यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसका नियंत्रण और विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाय ।

(2) विद्या परिषद् को विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर प्रबन्ध तंत्र बोर्ड को सलाह देने का अधिकार होगा ।

(3) विद्या परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :––

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबन्ध की शाखा से ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विद्वानों या उद्योगपतियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट हों ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम–निर्देशिती ;

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नाम–निर्देशिती ;

(ङ) उद्योग संघ का एक नाम–निर्देशिती ;

(च) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष ;

(छ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन आचार्य ;

(ज) विद्यालयों / विभागों के समस्त प्रधान ;

(झ) परीक्षा नियंत्रक ;

(ञ) कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट अध्यापन कर्मचारीवृंद के दो सदस्य, जिनमें से एक क्रमशः सह–आचार्य और सहायक आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ट) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं।

(4) विद्या परिषद् के सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या परिषद की शक्तियां, कृत्य और अधिवेशन

25–(1) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों तथा प्रबंध बोर्ड के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद् शैक्षणिक कार्यकलापों और विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करेगी और विशिष्टतः उसके निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगें, अर्थात् :––

(क) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा स्वयं को निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी मामले पर रिपोर्ट देना ;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों एवं उससे सम्बद्ध कर्तव्यों के संबंध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना ;

(ग) संकायों के संगठन के लिये स्कीमें बनाना और उपान्तरित करना या उनका पुनरीक्षण करना और ऐसे संकायों को उनके अपने–अपने विषय प्रदान करना और किसी संकाय के समापन या उपविभाजन की समीचीनता अथवा एक संकाय को दूसरे संकाय से संयुक्त करने के सम्बन्ध मे प्रबंध बोर्ड को रिपोर्ट भी प्रदान करना ;

(घ) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण और परीक्षा के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और ऐसे अनुसंधान पर समय—समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना ;

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ;

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियों का निर्धारण करना ;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों या संस्थाओं के डिप्लोमा और उनकी उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालयों के प्रमाण—पत्रों, डिप्लोमा और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समकक्षता का अवधारण करना ;

(झ) प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अन्य पारितोषिक के लिये प्रतियोगिता हेतु समय, रीति और शर्तों का निर्धारण करना, और उनके लिये पुरस्कार की संस्तुति करना ;

(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यकता हुयी, तो उनके हटाये जाने और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य व्ययों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना ;

(ट) परीक्षाओं के संचालन और उनके आयोजन के दिनांक के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना ;

(ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या उनका पुनर्विलोकन करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियों, सम्मान डिप्लोमा, लाइसेंस, पदनाम और सम्मान सूचक चिन्ह प्रदान या स्वीकृति करने के संबंध में संस्तुति प्रदान करना ;

(ड) वृत्तिका, छावृत्ति, पदक और पारितोषिक संस्तुति करना और विनियमों एवं ऐसी अन्य शर्तों जो पुरस्कारों से सम्बद्ध हो, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(ढ) निर्धारित पाठ्यक्रम के लिये पाठ्य विवरण का अनुमोदन करना निर्धारित या संस्तुत पाठ्य—पुस्तक की सूचियों को अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें प्रकाशित करना ;

(ण) ऐसे परिपत्रों और पंजिकाओं को अनुमोदित करना जो अध्यादेशों और विनियमों द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों ;

(त) विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्य—विवरण की रूपरेखा बनाने में पालन किये जाने वाले शिक्षा के वांछित मानकों को समय—समय पर तैयार करना ;

(थ) शैक्षिक और अनुसंधान विषयक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और अध्यादेशों एवं तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।

(2) विद्या परिषद् एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार बैठक करेगी जितनी बार आवश्यक हो, परन्तु बैठक तीन बार से कम नहीं होनी चाहिये ।

(3) विद्या परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

(4) विद्या परिषद के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(5) विद्या परिषद के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे । विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर–बराबर हो तो, यथास्थिति, विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा ।

(6) यदि विद्या परिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही अत्यावश्यक हो जाये तो विद्या परिषद् का अध्यक्ष, परिषद के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकता है । इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाये । इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विद्या परिषद के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा । यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

26–(1) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गठित एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः––

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त) – पदेन ;

(ग) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा) – पदेन ;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नाम–निर्दिष्ट दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालयय का कर्मचारी न हो ;

(ङ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव ;

(च) वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव होगा ;

(छ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य केवल तभी तक पद धारण करेंगे, जब तक वे प्रबंध बोर्ड के सदस्य बने रहते है ;

(3) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे :––

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की परीक्षा और संविक्षा करना और प्रबंध बोर्ड को वित्तीय मामलों पर संस्तुति प्रदान करना ;

(ख) नये व्यय के लिये प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना ;

(ग) ग्रेड के पुनरीक्षण वेतनमान के उच्चीकरण और उन मदों जो बजट में सम्मिलित नही हैं, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रबंध बोर्ड द्वारा उन पर विचार किये जाने के पूर्व वित्त समिति द्वारा किया जायेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय के ऐसे वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना जो वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये हों और अनुमोदन के लिये वित्त समिति के समक्ष रखे गये हों और तत्पश्चात् प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये हों ;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति के अनुमोदन के बिना इस प्रकार नियत सीमा से अधिक कोई व्यय उपगत नही किया जायेगा;

(च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर स्वप्रेरणा से या प्रबंध बोर्ड या कुलपति के निर्देश पर अपने विचार प्रदान करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना ।

(4) वित्त समिति वर्ष में कम से कम चार बैठक करेगी । किसी बैठक में वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(5) कुलपति, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में चयनित कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा । सदस्यों में भिन्न–भिन्न राय होने की दशा में सदस्यों की बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

अन्य प्राधिकारी

27–अन्य प्राधिकारियों जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाये, के गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य उसी प्रकार होंगे जैसा विहित किये जायें।

परिदर्शन

28–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करायी गयी परीक्षा, अध्यापन–कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा ;

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रदान करे, वहाँ विश्वविद्यालय को ऐसी नोटिस के प्राप्त होने पर ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, ऐसा अभ्यावेदन, जैसा वह आवश्यक समझे, करने का अधिकार होगा ;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण या जाँच करा सकती है ;

(4) यदि, निरीक्षण या जाँच करवा ली गयी हो तो विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा जिसको ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ;

(5) राज्य सरकार उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा ;

(6) यदि प्रबंध बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नही करता है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा ;

(7) यदि राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन कोई जाँच या निरीक्षण का आदेश किया गया है तो राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (3) के अधीन किये गये आदेश की जाँच या निरीक्षण, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अनुरूप न हो :

परन्तु यह कि ऐसा आदेश देने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और बताये गये कारण पर यदि कोई हो, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विचार करेंगे ।

परिनियम

29–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकते है, अर्थात् :––

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका गठन किया जाना आवश्यक पाया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों के सदस्यों के पद का चयन और उसकी निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उनसे सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए उपबन्ध करना विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझा जाय ;

(ग) पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के नियोजन में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बने रहने की निबन्धन और शर्तें ;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों एवं उपलब्धियों की निबन्धन और शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके साथ संविदा ;

(च) किसी संयुक्त परियोजना, को प्रारम्भ करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उपलब्धियाँ ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्ते ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और शर्तें ;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य–निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धान्त ;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या किसी छात्र द्वारा किस अपील के सम्बन्ध में प्रक्रिया ;

(ठ) मादन उपाधियाँ प्रदान किया जाना ;

(ड) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन राशि को संस्थित किया जाना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना ;

(ण) पीठों, विद्याशाखाओं और विभागों की स्थापना ;

(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(थ) ऐसे समस्त विषय जो इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाये या किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

30–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) प्रबंध बोर्ड समय–समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड किसी ऐसे परिनियम को तब तक नही बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप से अपना राय व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार न कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि प्रबन्ध बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे परिनियम को न बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, नियोजन के निबन्धन एवं शर्तों और उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता हो ।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या उनमें किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा स्वयं द्वारा किये गये संप्रेक्षण, यदि कोई हो, के आलोक में विचार करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को भेज सकता है ।

(4) विद्यमान परिनियमों को संशोधित या निरसित करने वाला कोई नया परिनियम या परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसके लिए कुलाधिपति की

अनुमति न प्राप्त हो जाय, जो मामले का विनिश्चय करते समय सम्बन्धित विभाग के विचारों को ध्यान में रखेगा ।

31–इस अधिनियम ओर परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–– **अध्यादेश**

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उसके लिए शुल्क, उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं प्रदान करने से सम्बन्धित अर्हताएं, अध्येतावृत्ति और पुरस्कार एवं तत्समान को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों के पद एवं उनकी नियुक्ति की सेवा–शर्तें भी हैं ;

(ग) छात्रों के निवास की शर्तें और उनका सामान्य अनुशासन ;

(घ) कर्मचारियों और विश्वविद्यालय या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(ङ) कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(च) किसी व्यथित कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील की प्रक्रिया ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाए रखना ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन और विश्वविद्यालय के छात्रों के आचारण का विनियमन ;

(झ) अवचार की श्रेणी जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अध्यादेशों द्वारा उपलब्ध किये जाएंगे या किये जा सकते है ।

32–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते है जैसा कि अपने कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में उपलब्ध नही किया गया है । **विनियम**

33–यदि विद्या परिषद के दो तिहाई सदस्य से अन्यून सदस्य यह संस्तुत करते हैं कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्या सम्बन्धित विशेष उपाधि इस आधार पर दे दी जाय कि वह उनकी राय में विशिष्ट उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्य और उपयुक्त है, तो कुलाधिपति किसी आदेश द्वारा यह विनिश्चिय कर सकते हैं कि उक्त उपाधियां संस्तुत व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। **मानद उपाधि**

उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना

34–(1) प्रबन्ध बोर्ड विद्या परिषद की संस्तुति पर किसी व्यक्ति को प्रदान या स्वीकृत किये गये किसी सम्मान, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार का बोर्ड के उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा वापस ले सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें बोर्ड की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो या वह घोर अवचार का दोषी रहा हो ।

(2) आधार (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गये विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अनुशासन

35–(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा । उस निमित्त कुलपति के निर्देशों का कार्यान्वयन विभाग, छात्रावासों और संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र का किसी परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय से निष्कासित करने के किसी शास्ति पर कुलपति की रिपोर्ट पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा या उसे अधिरोपित किया जायेगा ;

परन्तु यह कि कोई ऐसी शास्ति सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिरोपित नही की जायेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

36–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम भी हैं।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष शैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र विधान सभा में रखवायेगी ।

वार्षिक लेखा

37–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी ।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति प्रबंध बोर्ड के प्रेक्षण सहित यदि कोई हो, कुलाधिपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कोर्ट द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण प्रबंध बोर्ड के ध्यान में लाया जायेगा और इन संप्रेक्षणों पर की गयी कार्यवाही को कोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोर्ट और कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा ।

(4) कुलाधिपति को यथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो, यथाशक्य शीध्र, राज्य विधान मंडल के सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्ध और शर्ते एवं परिलब्धियां

38–विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, के नियोजन के निबन्धन और उनकी शर्ते उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय ।

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

39–(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त किया गया हो, के साथ विश्वविद्यालय एक लिखित सेवा संविदा करेगा और संविदा के निबन्धन और शर्ते इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

40–(1) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के मध्य अथवा धारा 4 के उपबन्धों के निबन्धन में विश्वविद्यालय और विद्यमान कर्मचारियों के मध्य, धारा 40 में निर्दिष्ट किसी रोजगारपरक संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और एक अम्पायर (निर्णेता) होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक निदेश को प्रवृत्त माध्यस्थम् विधि के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् को किया गया प्रस्तुतीकरण समझा जायेगा और उक्त विधि के समस्त उपबंध, उसकी धारा –2 को छोड़कर, तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चय किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद नही लाया जा सकेगा ।

भविष्य निधि और पेंशन निधि

41–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जैसी विहित की जाये, ऐसी भविष्य–निधि या पेन्शन निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

विद्यमान संकाय और कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में प्रचलित भविष्य एवं पेंशन योजनायें लागू होंगी ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

42–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप से नियुक्त किया गया है या वह सदस्य होने का हकदार है तो उस विषय को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

43–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति, यथाशीघ्र सुविधानुसार, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो उन सदस्यों को नियुक्त, चयनित या सहयोजित करता है जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, चयनित या सहयोजित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

44–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नही होगा ।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

45–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे वाद के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के विरूद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरूद्ध किसी न्यायालय में संस्थित नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

46–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि इस प्रकार पदाभिहित कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उसमें विनिर्दिष्ट विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

47–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

परिनियमों और अध्यादेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

48–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेशों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेशों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों

अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्य तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर एक स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना सन् 1962 में की गयी थी । दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी ने इसे रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की की भांति आवासीय, गैर–सम्बद्धक विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा की थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि एक कानून बनाकर उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करके उसकों अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाने की व्यवस्था की जाय ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, उद्योग सम्बन्धी सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिये बेहतर कार्यक्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।